

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2023—पौष 1, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2023

क्र. एफ. 1-3-2-0012-2023-सूअप्र-एक-9-938.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय श्री ए. के. शुक्ला, मा. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, भोपाल को दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2023 तक, पांच दिवस के अर्जित अवकाश (मां नर्मदा के करौंदी, गाडरवारा घाट पर श्रीमद्भागवत कथा के आयोजन हेतु) की स्वीकृति/अनुमति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुमन राकवार, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

क्र. एफ 1 (ए) 92-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 14 से 20 दिसम्बर 2023 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|-------------------------|---|--------|
| 1. श्री मकरन्द देऊस्कर | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती निधि देऊस्कर | — | पत्नी |
| 3. कु. सोनिका देऊस्कर | — | पुत्री |
| 4. कु. सौम्या देऊस्कर | — | पुत्री |

8823

(2) श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था), नगरीय पुलिस, जिला इंदौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)31-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री कुमार सौरभ, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेन्ज, मुरैना को दिनांक 4 से 12 दिसम्बर 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 16-17 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री कुमार सौरभ, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कुमार सौरभ, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेन्ज, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कुमार सौरभ, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कुमार सौरभ, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार सौरभ, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2023

क्र. एफ 1 (ए) 20-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, निदेशक/उमनि. एफ.एस.एल., पु.मु., भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2023 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं 23-25 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत पांडिचेरी जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के साथ निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की अनुमति

प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| 1. श्री शशिकांत शुक्ला, | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती मोनिका शुक्ला | — | पत्नी |
| 3. कु. देवांशी शुक्ला | — | पुत्री |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न निदेशक/उमनि. एफ.एस.एल., पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2023

क्र. एफ1 (ए) 158-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2023 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जेल, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 18 दिसम्बर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर यात्रा अन्तर्गत अकेले दीमापुर (नागालैंड) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री संजय पाण्डेय, उप महानिरीक्षक, जेल, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, जेल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनू भलावी, अवर सचिव.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2023

क्र. 1608285-2023-तैंतीस.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 23 नवम्बर 2023

प्र. क्र. 07-अ-82-2023-24-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 12 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का नाम	
(1)	(2)	(3)	सर्वे नं. रकबा (हे. में)	(4)	(5)	
ग्वालियर	सिटी सेन्टर	महलगांव	212/1	0.426	कार्यपालन यंत्री, लोक	ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई.टी.एम.
			213	0.0310	निर्माण विभाग सेतु निर्माण	कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा
			214	0.0106	संभाग ग्वालियर.	तक स्वर्ण रेखा नाले पर एलीवेटेड
			251	0.0030		कॉरीडोर/फ्लाई ओव्हर निर्माण
			264	0.1038		हेतु भूमि का अर्जन.
			1765/	0.0148		
			220			
			0.2058			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है).

प्र. क्र. 01-अ-82-2023-24-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नं. रकबा (हे. में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्वालियर	ग्वालियर	रानीपुरा	165/14	0.0531	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर.	ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई.टी.एम. कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले पर एलीवेटेड कॉरीडोर/फ्लाई ओव्हर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			173/1/1	0.0194		
			180/1/1	0.0710		
			180/1/2			
			182/1	0.0085		
			182/2			
			187/1/1/1	0.0271		
			216	0.0233		
			163	0.0151		
			165/1	0.0037		
			193	0.0111		
198	0.0150					
200/201	0.0075					

0.2548

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 03-अ-82-2023-24-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नं. रकबा (हे. में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्वालियर	ग्वालियर	मोहम्मदपुर	65/1	0.0793	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर.	ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई.टी.एम. कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले पर एलीवेटेड कॉरीडोर/फ्लाई ओव्हर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			66/2	0.0210		
			67/2	0.0704		
			70/5	0.0821		
			93/1	0.0078		

0.2606

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 04-अ-82-2023-24-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम	
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नं. रकबा (हे. में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्वालियर	ग्वालियर	गौशपुरा	202/4	0.0218	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर.	ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई.टी.एम. कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले पर एलीवेटेड कॉरिडोर/फ्लाइंग ओवर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			202/2	0.0593		
			202/3			
			205/1			
			205/4	0.0310		
			206/1	0.0420		
			206/2			
			207/1	0.0100		
			214/1/1/5	0.0302		
			214/2/2/1	0.0088		
			214/2/11/1	0.0034		
			173	0.0354		

0.2629

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है).

प्र. क्र. 06-अ-82-2023-24-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई.टी.एम. कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले पर एलीवेटेड कॉरीडोर/फ्लाई ओव्हर निर्माण हेतु ग्राम रमटापुरा की भूमि का अर्जन.

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का नाम
(1)	(2)	(3)	सर्वे नं. रकबा (हे. में)		(6)	(7)
ग्वालियर	ग्वालियर	रमटापुरा	8/1,8/2,8/3	0.0420	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर.	ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई.टी.एम. कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले पर एलीवेटेड कॉरीडोर/फ्लाई ओव्हर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			9	0.0356		
			11/10	0.0310		
			12/1,12/2/1,	0.0091		
			12/2/2			
			11/42/3	0.0084		
			227/3/2	0.0026		
			247/2/1/2,	0.1080		
			247/2/2/2/1			
			316/1,316/2,	0.0133		
			316/3			
			330	0.0085		
			335	0.0027		
			336	0.0269		
			337	0.0789		
			352/1	0.0320		
			353/1	0.0085		
			356/1/2	0.0023		
			357/1, 357/2	0.0393		
			358/1	0.0056		
			371/1/2,	0.0482		
			371/1/3			
			371/1/1/4			
			371/1/5			
			371/1/6			
			371/1/7,			
			371/2			
			372	0.0168		
			374	0.0060		
			375	0.0978		
			377	0.0120		
			378	0.0207		
			379/1	0.0191		
			380	0.0041		
			383/1	0.0239		
			384	0.0082		
			413	0.0245		
			414	0.0247		
			415/2	0.0106		
			533/1/1	0.0194		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			554	0.0404		
			556/1, 556/2	0.0220		
			557	0.0126		
			559/2	0.0655		
			560/1	0.0050		
			561/1	0.0393		
			562/1	0.0282		

1.0037 हे.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2023

क्र. एफ 1-3-23-रा.स.-यू.ए.-1-1245.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, एतद्वारा, प्रो. राजेश कुमार वर्मा, प्राध्यापक, वाणिज्य, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, शा. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (मध्यप्रदेश) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए, के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम, 2020

ग्वालियर, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

क्र. 1318-भू-सर्वेक्षण-2023-17998.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये हैं :—

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राजगढ़	ब्यावरा	मूल ग्राम-आगर, मजरा-खेजडखो मजरा-जामनकापुरा, मजरा-हात्याखो	99	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)

अखिलेश कुमार जैन, संयुक्त आयुक्त.

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2023

फा.कमांक 5854/2022/21-ब(एक), भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2017 के नियम 5(1)(ए) के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रूपये 1,44,840 से 1,94,660 (J-5) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है :-

कं.	नाम एवं पदनाम
01	श्री आशीष प्रताप सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना
02	श्री जितेन्द्र नारायण सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह
03	श्री धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
04	श्री आशीष परसाई, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर
05	श्री सुरेश कुमार शर्मा (जूनियर), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर
06	श्री शिवकुमार कौशल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास
07	श्रीमती पदमा राजौरे तिवारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगौन (मण्डलेश्वर)
08	श्री पुष्पक पाठक, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीधी
09	श्री विकास चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी
10	श्री हेमंत सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दतिया
11	श्री चौधर सिंह सैयाम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर

12	कुमारी कल्पना मरावी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर
13	श्री महेन्द्र कुमार उइके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपपुर
14	श्री पुंजिया बारिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरैना
15	श्री संतोष बघेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर
16	श्री अमर सिंह सिसौदिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल
17	श्री सुरेश सिंह जमरा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर
18	श्री कमलेश कुमार कोल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा
19	श्री संजीव कटारे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालाघाट
20	श्री दीप नारायण सिंह, सातवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, इंदौर
21	श्री कलम सिंह मेड़ा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बैतूल
22	श्री हीरालाल अलावा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सिरमौर (रीवा)
23	श्री अरविंद सिंह टेकाम, पंद्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जबलपुर
24	श्री अजय कुमार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, नागौद (सतना)
25	श्री दीपक चौधरी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, छतरपुर
26	श्रीमती श्वेता तिवारी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जबलपुर
27	श्री शशांक खरे, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इंदौर
28	श्री महेश कुमार वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, करेरा (शिवपुरी)
29	श्री राजेश कुमार यादव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, रायसेन
30	श्रीमती आरती ढींगरा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, गाडरवारा (नरसिंहपुर)
31	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, महिदपुर (उज्जैन)
32	श्री धनकुमार कुड़ोपा, सातवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जबलपुर
33	श्रीमती अर्चना रघुवंशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, अशोकनगर
34	श्रीमती नेहा श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बड़नगर (उज्जैन)
35	श्री यशपाल सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास
36	श्री मुकेश सिंह चौहान, पीठासीन अधिकारी क्रमांक-2, श्रम न्यायालय, भोपाल

37	श्री अशीष श्रीवास्तव (जूनियर), पांचवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर
38	श्री संतोष कुमार तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, नागदा (उज्जैन)
39	श्री वीरेन्द्र जोशी, नवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, उज्जैन
40	श्री सचिन ज्योतिषी, चौदहवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर
41	श्री मधुसूदन जंघेल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, शहडोल
42	श्री राकेश कुमार शर्मा (जूनियर), व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, तराना (उज्जैन)
43	श्री वीरेन्द्र वर्मा, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, उज्जैन
44	श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, गुना
45	श्री दिलीप सिंह परमार, दसवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, इंदौर
46	श्री दीनानाथ वाडीवा, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली (अशोकनगर)
47	श्रीमती मंजूषा तेकाम, आठवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भोपाल
48	श्रीमती सविता ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सिहोरा (जबलपुर)
49	श्रीमती अनु सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास
50	श्री विधान माहेश्वरी, सातवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भोपाल
51	श्री बिश्व दीपक तिवारी, सातवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सतना
52	श्रीमती प्रीति शिखा अग्निहोत्री, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, रीवा
53	श्रीमती तबरस्सुम खान, छठवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जबलपुर
54	श्री शरद कुमार लटौरिया, सोलहवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भोपाल
55	श्री राम मनोहर सिंह दांगी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, दमोह
56	श्री पंकज शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सांवेर (इंदौर)
57	श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, रामपुर नैकिन (सीधी)
58	श्री मयंक कुमार शुक्ला, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सागर
59	श्री अरविंद श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बुधनी (सीहोर)
60	श्री अमित निगम, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, टीकमगढ़
61	श्री बृजेश सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सेंवड़ा (दतिया)
62	श्री अनुराग सिंह कुशवाह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कोलारस (शिवपुरी)
63	डॉ. आरिफ खान पटेल, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, राघोगढ़ (गुना)
64	श्री राजेश नामदेव, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, परासिया (छिंदवाड़ा)
65	श्री बलवीर सिंह धाकड़, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सीतामऊ (मंदसौर)
66	श्री धीरज कुमार, ग्यारहवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर
67	श्री राकेश कुमार कुशवाह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मेहगांव (भिण्ड)

68	श्री संजोग सिंह वाघेला, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सेंधवा (बड़वानी)
69	श्री कमलेश मीणा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बैतूल
70	श्री रवि शंकर दौहरे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, डॉ. अंबेडकर नगर (इंदौर)
71	श्री विजय चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश, बैतूल
72	श्री गौरव अग्रवाल, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, खण्डवा
73	श्री सुशील कुमार अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, दमोह
74	श्री संजीव कुमार पालीवाल, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सौंसर (छिंदवाड़ा)
75	श्रीमती सोनाली शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शुजालपुर (शाजापुर)
76	श्री विकास शुक्ला, सत्रहवे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जबलपुर
77	श्री कमलेश साहू, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ब्यौहारी (शहडोल)
78	श्री आशुतोष यादव, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बीना (सागर)
79	मोहम्मद असलम देहलवी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बेगमगंज (रायसेन)
80	श्री राहुल वर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बुढ़ार (शहडोल)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उमेश पाण्डव, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 2अ-82-23-24-भू-अर्जन-12163

बैतूल, दिनांक 7 दिसम्बर 2023

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	बैतूल	गढ़ा	1.555	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)	गढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	खुदीप व. संतोषराव जाति कुंबी भूमिस्वामी	212/1	0.876	0.046
2	आनंदराव व. सरजेराव जाति कुंबी भूमिस्वामी	223/3	0.823	0.056
3	कौतिका बे. मानिकराव, देवेन्द्र, राजेन्द्र, गजेन्द्र, दविका, महेश्वरी व. मानिकराव भूमिस्वामी	224/1	2.132	0.018
4	कौतिका बाई पुत्री शिवराम भूमिस्वामी	224/2	1.214	0.070

11211

5	अंकुश व. चिन्धू भूमिस्वामी	224/3	0.405	0.052
6	सुधाकर व. सरजेराव भूमिस्वामी	225/3	0.838	0.056
7	संतोषराव व. केशोराव भूमिस्वामी	226	2.144	0.055
3	अमृतराव व. केशोराव जाति कुन्बी भूमिस्वामी	222/2	1.416	0.028
9	सुधाकर व. सरजेराव भूमिस्वामी	238/4	1.350	0.648
10	भानिकराव व. गेंदू बकू पुत्री गेन्दू प्रभाकर व. केशोराव, दिनेश व. केशोराव, संतोष व. केशोराव, आशा पुत्री केशोराव, उषा पुत्री केशोराव जाति कुन्बी भूमिस्वामी	237	1.028	0.526
	योग	10	12.226	1.555

1- चूंकि हितवद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि गढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु अस्तित्व में है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने तक के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विद्वलंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 3अ-82-23-24-15 अर्जन-12161

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि परिसरों की, अनुसूची के कालम (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	बैतूल	टाहली	0.272	कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र.-2, बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)	गढ़ा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र एवं सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	कमलनयन व. कृष्णाचंद अग्रवाल जाति जैन भूमिस्वामी भूमिस्वामी	348/2	2.023	0.272

1- चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि गढ़ा मध्यम परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तवित प्रस्तवित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 9अ-82-22-23-भू-अर्जन-गौला-12167

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	गौला	0.210	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)	पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	बाबूराव, वासुदेव व. आनंदराव, शान्ता बेवा आनंदराव कुन्बी सा. देह	292	0.607	0.100
2	बाबूराव व. उमराव कुन्बी सा. देह	387/1	0.303	0.080
3	शंकर व. नारायण, बुन्दरु, बूंदरो पुत्री नारायण कुन्बी सा. देह	468/2	0.171	0.020

11211

4	संतोषराव, बाबाराव, देवीदास, प्रकाश, भाउराव व. दौलतराव, अनीता पुत्री दौलतराव, कंचना, लता पुत्री मानिकराव, अलकेश, निलेश, व. नामदेव, दुर्गादास, धमेन्द्र व. मानिकराव, लक्ष्मी बेवा मानिकराव कुन्बी सा. देह	581/8	2.206	0.010
	योग	6	4.147	0.210

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि पारसडोह मध्यम परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 14अ-82-22-23-भू-अर्जन-बोरगाँव-12165

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	प्रभात पट्टन	बोरगाँव	1.615	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)	पारसडोह मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित खेत मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	प्रेमी, राधिका, ललिता (तीनों नाबालिग) संरक्षक पिता टटारी, गोलू, हेमंत (दोनों नाबालिग) संरक्षक पिता टटारी, टटारी पुत्र सुक्या जाति किराड. निवस्री, बोरगाँव	38/2	1.350	0.050
2	सरवन पिता तुलू जाति किराड नि. बोरगाँव	38/3	1.517	0.140
3	सुमरलाल पिता तुलू जाति किराड नि. बोरगाँव	38/6	0.181	0.181
4	मैनी पति आफू जाति किराड नि. बोरगाँव	40/1	0.748	0.080
5	गोन्दू पिता चिन्धू जाति किराड नि. बोरगाँव	40/2	0.749	0.100
6	माखन पिता चिन्धू जाति किराड	41/1	0.607	0.050
7	लक्ष्मण पिता चिन्धू जाति किराड	41/2	0.607	0.060
8	तितलाल पिता छोटेलाल जाति तेनी निवासी बोरगाँव	36/1	0.545	0.100
9	अलकेश पिता सुमरलाल जाति किराड नि. बोरगाँव	38/5	0.789	0.050
10	रामदीन पिता मोहन जाति किराड	45/1	0.663	0.250
11	दिनेश पिता डेपल्या जाति किराड नि. बोरगाँव	139/2	0.275	0.158
12	प्यारेलाल व. डेपल्या जाति किराड नि. बोरगाँव	139/3	0.158	0.158
13	रंगलाल व. डेपल्या जाति किराड नि. बोरगाँव	139/4	0.158	0.158
14	शंकर व. डेपल्या जाति किराड नि. बोरगाँव	139/5	0.080	0.080
	योग	14	8.427	1.615

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि पारसडोह मध्यम परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 16अ-82-22-23-भू-अर्जन-चन्दोराकला-12169

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	प्रभात पट्टन	चन्दोराकला	0.415	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)	चन्दोरा मध्यम सिंचाई सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
1	निर्मला बेवा महादेव कुन्बी सा. देह	601/1	2.188	0.375
2	राजेश, दीपक व. महादेव कुन्बी सा. देह	601/3	1.275	0.040
	योग	2	3.463	0.415

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि चन्दोराकला मध्यम परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

अमनवीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

प्र. क्र. 1-अ-82-भू-अर्जन-2023-24-मुरैना-10766

मुरैना, दिनांक 7 दिसम्बर 2023

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत])

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (सी.एम.राईज स्कूल के निर्माण हेतु) ग्राम- सुरजनपुर 40ह0क0- 66 रा0नि0 वृत्त-..... तहसील- मुरैना उपखण्ड- मुरैना जिला-मुरैना में कुल 1.450 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- सुरजनपुर 40ह0क0- 66 रा0नि0 वृत्त-..... तहसील- मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील मुरैना
ग. ग्राम सुरजनपुर
घ. लगभग क्षेत्रफल 1.450 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	180	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.450	गीताराम सुनीलदत्त पि विशालसिंह मु गंगादेवी पत्नी विशालसिंह स भाग 1/10 नरेशसिंह गिर्राजसिंह कमलेश पुत्रगण सरदारसिंह हि. 3/4 नरेश गिर्राजसिंह कमलेश सरदारसिंह सल्लो पुत्री सरदारसिंह हि. 4/5 गीताराम सुनीलदत्त पुत्रगण विशालसिंह गीरा सरोज 6 पुत्री विशालसिंह गंगादेवी देवा विशालसिंह स भाग 1/5 दर हिस्सा 1/4 दर हि0 1/2 राधेश्याम उर राधाचरन पुत्र जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
कुल किता 01				1.450	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

अंकित अस्थाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 06-अ-82-2023-24

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2023

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1, कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2023-24 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में राजगंज मण्डी से भोपाल स्टेशन तक बड़ी रेल लाईन में तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम बरखेडा बोंदर के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	बरखेडा बोंदर	1.5290	उप मुख्य अभियंता/निर्माण इंजिनियर-III, सेन्द्रल रेलवे, भोपाल	रामगंज मण्डी नई बड़ी रेल लाईन परियोजना ब्यावसायिक स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी लाईन।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा हे० में	प्रभावित रकबा हे० में
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्रीमती जोली शुक्ला पत्नी अजय शुक्ला नि 21 सुल्तानया इन्फेन्ट्री भोपाल	144/1/2	0.0620	

2.	<p>सैय्यदा शाहीन सुल्ताना पत्नी मीर याकूब अली मीर याकूब अली पिता मीर मुमताज अली नि ओसीपुरा मसब अँक हैदराबाद चौकसे नगर डी आईजी बंगला भोपाल</p> <p>सैय्यद मुबीन मुबारक पुत्र सैय्यद खालिक मुबारक नि पीरगेट भोपाल</p> <p>अयाज अली पुत्र नियाज अली पराग भार्गव पिता भारत भूषण भार्गव, श्रीमती नन्दिता भार्गव पत्नी पराग भार्गव</p> <p>श्रीमती प्रीति अग्रवाल पत्नी सुधीर अग्रवाल</p> <p>श्रीमती रीना शर्मा पत्नी केशव शर्मा</p>	144/1/1	0.7270	0.4530
		किता-2 (कुल रकबा 1+2)	0.7890	0.4530
3..	<p>सरवत रजा पत्नी इरशाद मेहमूद अब्दुल हक शेख पिता अ० शाकिर शेख श्रीमती शगुफता यासमीन</p> <p>पति अब्दुल हक शेख बिलकिस जहां पत्नी मो० शफी अय्यूब पुत्र रहीम खान</p> <p>उम्मे कुलसुम पुत्री अशफाक उर रहमान श्रीमती वंदना पुत्री अजय</p> <p>इन्तेखाब मोहम्मद खान पुत्र हबीबउल्ला अब्दुल वाहिद पुत्र अब्दुल अजीज मो० आमिर खान पुत्र इकबाल मो० खान</p> <p>सरवत अली नजमी पुत्र मो० उमर श्रीमती शारदा मिश्रा पत्नी अखिलेश जगन्नाथ पुत्र लक्ष्मण</p> <p>व अन्य 25 सहखातेदार</p>	141/1, 142	0.7710	0.1930
4.	<p>रामकिशन पुत्र जगन्नाथ जाति काछी 1/3 भाग</p> <p>नारायण सिंह पुत्र जगन्नाथ रवि पुत्र जगन्नाथ जाति काछी</p> <p>आजम अख्तर पुत्र अजहर हुसैन</p> <p>राजकुमारी पुत्री लक्ष्मीनारायण</p> <p>रामकिशन नारायणसिंह रवि पुत्र जगन्नाथ व अन्य तीन सहखातेदार</p> <p>मंगेज सिंह पिता भैरो सिंह नि भोपाल</p> <p>आर एल आनंद पिता आर ए शिवशंकरन व अन्य 4 सहखातेदार</p> <p>श्रीमती शहनाज खान पत्नी मो० इलयास</p>	<p>144/2/1/1</p> <p>144/2/1/2</p> <p>144/2/2</p> <p>144/2/3/1/1</p> <p>144/2/3/1/2</p> <p>144/2/3/1/3</p> <p>144/2/3/1/4</p>	<p>0.0300</p> <p>0.0350</p> <p>0.0650</p> <p>0.5940</p> <p>0.0510</p> <p>0.1130</p> <p>0.0370</p>	

	कुमारी प्रीति भार्गव पुत्री भारत भूषण सैय्यद इकबाल हुसैन पुत्र सैय्यद इशितयाक हुसैन, नि भोपाल	144/2/3/1/5 144/2/3/1/6	0.0510 0.0650	0.7780
	राजकुमारी पत्नी लक्ष्मीनारायण, हरमीत सिंह कपूर पुत्र जोगेन्द्र सिंह कपूर, श्रीमती नीता कपूर पत्नी हरमिन्दर सिंह कपूर व अन्य 8 सहखातेदार	144/2/3/2/1	0.7180	
	श्रीमती साहेबजादी हुमा दाउद पत्नी दाउद रहमान व अन्य 2 सहखातेदार	144/2/3/2/3	0.0930	
	श्रीमती पुष्पा सोनगरा पत्नी मनोहर	144/2/3/2/2	0.0370	
	श्रीमती बिलकिस हुसैन पत्नी रिजवान	144/2/3/2/4	0.0290	
	श्रीमती बिलकिस हुसैन पत्नी रिजवान	144/2/3/2/5	0.0330	
	किता-13		1.951	
5.	रेहाना तहसीम पत्नी सैय्यद मोहम्मद तहसीन	651/ 569/2/1	0.1050	0.1050
	कुल योग		3.6160	1.5290

चूंकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 21 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 12348-भू-अर्जन-2023

राजगढ़, दिनांक 11 दिसम्बर 2023

क्रमांक/भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक ...~~25~~/अ-82./2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम फूलखेडी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

:-अनुसूची :-

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
1	नानूराम पिता मोतीलाल जाति चमार निवासी ग्राम फूलखेड़ी	22/2/1/4	0.379	0.120
	योग	1	0.379	0.120
2	शिवलाल पिता पूरजी जाति चमार निवासी फूलखेड़ी	22/2/1/3	0.379	0.120
	योग	1	0.379	0.120
3	कैलाश पिता कनीराम जाति चमार नि. फूलखेड़ी	22/2/1/2	0.379	0.120
	योग	1	0.379	0.120
4	कमलाबाई पति बिहारी लाल जाति चमार निवासी फूलखेड़ी बापूलाल पिता बिहारी लाल जाति चमार नि. फूलखेड़ी	22/2/1/1	0.863	0.253
	योग	1	0.863	0.253
5	बिरम पिता लाला जाति चमार निवासी फूलखेड़ी	22/2/5/1	0.460	0.025
	योग	1	0.460	0.025
6	शैलेन्द्रसिंह भाटी पिता जगदीशसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी राजगढ़	9/1/1/1 8/3/2/1	0.030 0.242	0.030 0.242
	योग	2	0.272	0.272
7	महेन्द्रपाल सिंह, शैलेन्द्रसिंह पिता जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ़	8/3/1/1 9/1/2/1	0.092 0.020	0.038 0.020
	योग	2	0.112	0.058
8	कृपालसिंह, अदित्य सिंह, अंजली पिता रामपाल सिंह, शिवकुंवर बेवा रामपाल सिंह जाति राजपूत नि. राजगढ़	8/4 9/2/1	0.656 0.463	0.228 0.304
	योग	2	1.119	0.532
कुलयोग:-		11	3.965	1.500

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

रामगंजमंडी से भोपाल बड़ी रेलवे लाईन में प्रभावित में अतिरिक्त भूमि की सूची ग्राम-राजगढ खास

क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम व जाति तथा निवास	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
1	ज्ञान सिंह, पिकीबाई पिता कंवर लाल जाति गुर्जर	814/4/1/1/1	0.309	0.063
2	गंगाधर, भूरीबाई पिता कंवरलाल जाति गुर्जर	814/4/1/1/2	0.310	0.063
3	देवसिंह, कलाबाई पिता कंवरलाल जाति गुर्जर	814/4/1/3	0.310	0.063
4	नरेन्द्र कुमार पिता प्रेमशंकर जाति महाजन	814/4/2/1/2	2.077	0.275
5	नरेन्द्र कुमार, वीरेन्द्र कुमार, शीला पिता प्रेमशंकर विजय	814/5/2/1	0.812	0.144
	योग	05	3.818	0.608
	कुलयोग:-	13	14.146	1.608

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ जिला राजगढ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 12350-भू-अर्जन-2023

क्रमांक/भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 31.../अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, रामगंजमण्डी से भोपाल बड़ी रेलवे लाईन में तहसील राजगढ जिला राजगढ के ग्राम मनोहरपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

: - अनुसूची :-

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
1	जसवंत सिंह, शिवपाल सिंह, लोकेन्द्रसिंह, विजय पाल सिंह महिपाल सिंह पिता रुगानाथ सिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	31/1	1.460	0.173
	योग	1	1.460	0.173
2	भंवर लाल पिता गोपीलाल जाति चमार निवासी फूलखेड़ी राजगढ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	9/2/1	0.316	0.116
	योग	1	0.316	0.116
3	रामकुंवर बाई बेवा जगन्नाथ जाति चमार निवासी फूलखेड़ी राजगढ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	9/1/3/1	0.456	0.304
	योग	1	0.456	0.304

4	शिवनारायण पिता प्यारजी जाति सौंदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	10/2/1/1	0.468	0.228
	योग	1	0.468	0.228
5	गंगाराम पिता प्यारजी जाति सौंदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	10/2/2/1	0.468	0.228
	योग	1	0.468	0.228
6	भगवान सिंह पिता प्यारी जाति सौंदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	10/2/3/1	0.468	0.228
	योग	1	0.468	0.228
7	नारायण सिंह पिता रामसिंह जाति सौंदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	14/1/1	0.586	0.316
	योग	1	0.586	0.316
8	बज्रसिंह पिता भीमा जाति सौंदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	15/3/1	1.336	0.101
	योग	1	1.336	0.101
9	फतेहसिंह पिता नवल जाति सौंदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	21/2/1	0.031	0.031
	योग	1	0.031	0.031
10	प्यार जी पिता नवल जाति सौंदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	21/1/1	0.030	0.030
	योग	1	0.030	0.030
11	भवरलाल, मदनलाल पिता लक्ष्मण, कचनबाई बेवा लक्ष्मण जाति चमार निवासी फूलखेड़ी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	35/2/1	0.566	0.379
	योग	1	0.566	0.379
12	गंगाराम पिता लाला जाति चमार निवासी फूलखेड़ी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	32/2/1	0.246	0.202
	योग	1	0.246	0.202
13	दोलजी पिता देवीसिंह जाति सौंदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	51/1/1/1	1.563	0.585
	योग	1	1.563	0.585
14	रामेश्वर, कालूसिंह पिता हरीसिंह जाति सौंदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	51/2/1/1	1.756	0.516
	योग	1	1.756	0.516
15	लक्ष्मीनारायण पिता रुगनाथ जाति सौंदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	50/2	0.499	0.120
	योग	1	0.499	0.120
16	बिहारीलाल पिता रुगनाथ जाति सौंदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	49/4/1	0.385	0.153
		50/1	0.500	0.090
	योग	2	0.885	0.243
17	गणपत पिता भैरु जाति चमार निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	17/12/1	0.235	0.235
	योग	1	0.235	0.235
18	देवसिंह पिता भैरु जाति चमार निवासी मनोहरपुरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	22/1/1	0.161	0.101
	योग	1	0.161	0.101
19	चीसालाल, पूरणसिंह पिता माधोसिंह जाति सौंदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	22/2/1	0.850	0.253
	योग	1	0.850	0.253
20	मांगीलाल पिता अनारजी जाति सौंदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	21/3	1.069	0.506
	योग	1	1.069	0.506
21	बज्र सिंह पिता भीमा जाति सौंदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	15/3/1	1.336	0.180
	योग	1	1.336	0.180
22	कालूसिंह पिता फतेहसिंह जाति सौंदिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	54/1	1.467	0.203
	योग	1	1.467	0.203
	कुलयोग:-	23	16.252	5.278

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्ष दीक्षित, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

क्र.भू-अर्जन-2023-2800-रा.प्र.क्र.-0005-अ-82-2022-23

उज्जैन, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में वर्णित भूमि में अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला उज्जैन

(ग) कस्बा उज्जैन

(ख) तहसील उज्जैन

(घ) अर्जित रकबा 2.135 हेक्ट. एवं निर्मित परिसंपत्ति

क्र.	सर्वे नम्बर	कुल रकबा हेक्ट. में	अधिग्रहित रकबा हेक्टर में	परिसंपत्ति
1	2330/1/1	0.1670	0.1670	पैरा-2 में दर्शाये अनुसार
2	2330/2	0.0280	0.0280	
3	2328/1,	0.0480	0.0480	
4	2324/1,	0.3310	0.3310	
5	2326	0.2820	0.2820	
6	2327	0.5230	0.5230	
7	2325/1	0.5770	0.5770	
8	2329/1	0.0560	0.0560	
9	2324/2/1/1	0.1050	0.1050	
10	2324/2/2/1	0.0060	0.0060	
11	2325/2/1/1	0.0120	0.0120	
	total	2.135	2.135	

2- उक्त भूमि रकबा 2.135 हे. में स्थित 253 निर्मित संरचनाओं की स्थिति निम्नानुसार है--

क्र.	क्षेत्रफल	निर्मित क्षेत्र	संरचना का प्रकार	पता
1	300	G	टीन शेड	तकिया मस्जिद के पास, निजामुद्दीन कालोनी
2	450	G	टीन शेड	तकिया मस्जिद के पास, निजामुद्दीन कालोनी
3	450	G	टीन शेड	तकिया मस्जिद के पास, निजामुद्दीन कालोनी
4	450	G	टीन शेड	तकिया मस्जिद के पास, निजामुद्दीन कालोनी
5	4500	G+1	आर.सी.सी	तकिया मस्जिद के पास, निजामुद्दीन कालोनी

241	450	G+1	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
242	450	G+1	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
243	450	G+1	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
244	450	G+1	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
245	450	G	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
246	450	G	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
247	450	G+2	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
248	450	G+1	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
249	450	G	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
250	450	G	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
251	450	G	टीन शेड	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
252	570	G+2	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
253	450	G	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,

3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में त्रिवेणी संग्रहालय के सामने पार्किंग क्षेत्र विस्तारीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण करने के संबंध में।
4. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उज्जैन तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में वर्णित भूमि में अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला उज्जैन

(ख) तहसील उज्जैन

(ग) कस्बा उज्जैन

(घ) अर्जित रकबा 2.135 हेक्ट. एवं निर्मित परिसंपत्ति

क्र.	सर्वे नम्बर	कुल रकबा हेक्ट. में	अधिग्रहित रकबा हेक्टर में	परिसम्पत्ति
1	2330/1/1	0.1670	0.1670	पैरा-2 में दर्शाये अनुसार
2	2330/2	0.0280	0.0280	
3	2328/1,	0.0480	0.0480	
4	2324/1,	0.3310	0.3310	
5	2326	0.2820	0.2820	
6	2327	0.5230	0.5230	
7	2325/1	0.5770	0.5770	
8	2329/1	0.0560	0.0560	
9	2324/2/1/1	0.1050	0.1050	
10	2324/2/2/1	0.0060	0.0060	
11	2325/2/1/1	0.0120	0.0120	
	total	2.135	2.135	

2- उक्त भूमि रकबा 2.135 हे. में स्थित 253 निर्मित संरचनाओं की स्थिति निम्नानुसार है-

क्र.	क्षेत्रफल	निर्मित क्षेत्र	संरचना का प्रकार	पता
1	300	G	टीन शेड	तकिया मस्जिद के पास, निजामुद्दीन कालोनी
2	450	G	टीन शेड	तकिया मस्जिद के पास, निजामुद्दीन कालोनी
3	450	G	टीन शेड	तकिया मस्जिद के पास, निजामुद्दीन कालोनी
4	450	G	टीन शेड	तकिया मस्जिद के पास, निजामुद्दीन कालोनी
5	4500	G+1	आर.सी.सी	तकिया मस्जिद के पास, निजामुद्दीन कालोनी

241	450	G+1	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
242	450	G+1	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
243	450	G+1	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
244	450	G+1	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
245	450	G	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
246	450	G	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
247	450	G+2	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
248	450	G+1	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
249	450	G	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
250	450	G	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
251	450	G	टीन शेड	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
252	570	G+2	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,
253	450	G	आर.सी.सी	जयसिंहपुरा, तकिया मस्जिद के पास,

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है— श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में त्रिवेणी संग्रहालय के सामने पार्किंग क्षेत्र विस्तारीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण करने के संबंध में।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उज्जैन तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र.-115-भू-अर्जन-2023-24

मण्डला, दिनांक 5 दिसम्बर 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 की उपधारा (1) एवं धारा (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला - मण्डला

(ख) तहसील - बिछिया

(ग) ग्राम- सरही प.ह.नं. 49

(घ) क्षेत्रफल - 0.93 हेक्टेयर

स. क.	कृषक का नाम	खसरा नं.	रकबा	अर्जित रकबा
1	समलू पिता माहू	85	0.07	0.07
2	समलू पिता माहू	81	1.53	0.01
3	गुडरु, हरियो पिता समारु	133	0.18	0.03
4	गुडरु, हरियो पिता समारु	135	0.52	0.15
5	कमला पति तुलाराम	236/1/2	0.2	0.1
6	भोजराज पिता तुलाराम	236/2	0.59	0.03
7	अयोध्या पिता तुलाराम	236/6/1	0.21	0.02
8	द्वारका पिता तुलाराम	236/5/1	0.21	0.02
9	बद्री प्रसाद पिता तुलाराम	236/7	0.09	0.02
10	मोहन, मोतीलाल पिता तुन्नू	191	0.33	0.03
11	पुरुषोत्तम पिता तुन्नू	193	0.11	0.03
12	दुलीराम पिता गनेश	222/1	0.27	0.01
13	तुलाराम पिता मनीराम	222/2	0.27	0.01
14	दुकाली हल्कू पिता कुंवर बगै.	238/1	0.6	0.02
15	गेंदलाल पिता सुद्धू	114	0.08	0.04
16	झामू पिता रतिराम	118	0.06	0.02
17	सहजू पिता सुन्हर बगै.	121/1	0.12	0.03
18	अनिल पिता तुन्नू	195	0.32	0.01
19	नोखे पिता तुन्नू	195	0.32	0.01
20	भददेलाल पिता शंभू	195	0.32	0.01
21	देवचरण पिता पंचम	205	1.42	0.02
22	पीतम पिता पूरन	202	0.61	0.02
23	रामनाथ पिता शंभू	195	0.32	0.01
24	मीरा बाई पिता कीडीलाल बगै.	226/1	0.57	0.02
25	देवीप्रसाद पिता समारु	195	0.32	0.02
26	सुकरती पति दिवरिया	117	0.14	0.06
27	बृहस्पति पति रतिराम	118	0.06	0.02
28	पंसारी पिता रामसिंह	129/1	0.1	0.02
29	अंतराम पिता पूरन	205	1.42	0.02
30	अनिल पिता रामनाथ	195	0.32	0.02
31	सुमित्रा पति डुंगरु बगै.	172/2	0.02	0.01
32	शोभितरावत पिता राजेन्द्ररावत	221	0.39	0.02
		कुल योग	12.12	0.93

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिछिया (एन.एच. 30) से सरही गेट तक सडक निर्माण हेतु। (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट WWW.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट WWW.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है। (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) बिछिया या कार्यापालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग मण्डला के कार्यालय मे किया जा सकती है।

क्र.-116-भू-अर्जन-2023-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि निचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदारिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 की उपधारा (1) एवं धारा (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

- (1) भूमि का वर्णन
(क) जिला - मण्डला
(ख) तहसील - बिछिया
(ग) ग्राम- भुआ रैयत प.ह.नं. 44
(घ) क्षेत्रफल - 2.65 हेक्टेयर

स. क.	कृषक का नाम	खसरा नं.	रकबा	अर्जित रकबा
1	योगेश पिता बाबू लाल	177/1	1.659	0.03
	योगेश पिता बाबू लाल	177/2	0.13	0.02
2	नंद कुमार पिता राजा राम बगै.	178	1.862	0.03
3	नर्मदापुरी पिता बोधनपुरी	161/1	0.974	0.04
4	रत्नेश पिता - जाति अहीर	162/1	1.785	0.04
5	गणेश पिता जयसिंह	189/2	0.934	0.05
6	भरतकुमार पिता सरजूप्रसाद	172/18	1.7	0.06
7	नीरज पिता भरतकुमार	160/11/2/1	0.075	0.02
8	सोनू पिता जियालाल	191/1/2	0.21	0.03
9	कमलसिंह पिता भैयालाल	191/1/3	0.34	0.03
10	सोनू पिता जियालाल	191/1/4	0.418	0.02
11	राजेन्द्र पिता शंकरलाल बगै.	203/1	1.465	0.05
12	इमरती पति सल्लूसिंह बगै.	127/1	2.351	0.24
13	इमरती पति सल्लूसिंह	130/1	0.809	0.33
14	हिम्मतसिंह पिता जोशसिंह	131/14	2.304	0.35
15	रमेशचन्द्र पिता नंदलाल	146/1	1.076	0.18
16	मीराउददे पति विष्णुउददे	147/4	0.405	0.1
17	सुकवारो पति ब्योहारसिंह बगै.	148/4	0.549	0.2
18	सुकवारो पति ब्योहारसिंह बगै.	150/8	0.44	0.2
19	उषाबाई पति रामसिंह बगै.	151/20	1.4	0.2
20	चमनकुमार पिता ललितकुमार	147/3	0.454	0.12
21	प्रेमसिंह पिता उमराव बगै.	151/17	0.377	0.03
22	गंगाबाई पति लखनपुरी	174/4	0.014	0.01
23	श्रीराम पिता छेदीलाल	166/1	0.995	0.06
24	विष्णुप्रसाद पिता अंबिकाप्रसाद	165/3/1/1	0.14	0.02
25	शिवप्रसाद पिता बसोरी	190/3/2	0.39	0.15
26	प्रेमपुरी पिता बोधनपुरी	160/3	0.607	0.04
	कुल योग		23.863	2.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिछिया (एन.एच. 30) से सरही गेट तक सड़क निर्माण हेतु। (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट WWW.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट WWW.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है। (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) बिछिया या कार्यापालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सलोनी सिडाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.